

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1546 का परिष्कार (5) [13/3/2023]

विधान सभा प्रश्न सं. [क. 1546]

# कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व

तहसील - भाण्डेर  
जिला - दतिया, मध्य प्रदेश

## (अनुसूचित जाति का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र)

दिनांक : 25/07/2015

प्रकरण क्रमांक-17094/बी - 121/जाति प्रमाण पत्र  
प्रमाण पत्र क्रमांक : RS/422/0104/16180/2015

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामरतिदेवी जाटव पुत्र श्री अजुदीप्रसाद जाटव (पिता) एवं श्रीमती भगवती देवी (माता) ग्राम बिछीदना, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (मध्यप्रदेश) जाटव जाति के सदस्य हैं। उनकी जाति संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची में अनुक्रमांक 14 पर निम्नलिखित के तहत विनिर्दिष्ट की गई है:-

1. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976

श्री रामरतिदेवी जाटव पुत्र श्री अजुदीप्रसाद जाटव सामान्यतः (Ordinarily) ग्राम बिछीदना, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया, (मध्यप्रदेश) के निवासी हैं।


स्थान : भाण्डेर  
दिनांक : 25/07/2015  
आधार नंबर :  
समग्र नं.:



तहसील - भाण्डेर

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

1. प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रमाण पत्र म.प्र. शासन की Digitally Signed document repository [www.mpedistrict.gov.in](http://www.mpedistrict.gov.in) से डाउनलोड किया गया है। प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।
2. यह प्रमाण पत्र, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत मान्य है।
3. प्रमाण पत्र का सत्यापन पंजीयन क्रं RS/422/0104/16180/2015 के द्वारा वेबसाइट <http://mpedistrict.gov.in> के माध्यम से किया जा सकता है।

  
अवर सचिव

डॉ. नितेश सिंह  
प्रभारी अधिकारी  
(नर्सिंग एवं वैसायिक)

OFFICE OF THE JT. DIRECTOR & MED. SUPERINTENDENT  
HAMIDIA HOSPITAL: BHOPAL.

No. 17206/Estt.1/HH/88

dtd. 12 Oct 88

To,


Smt. Ram Rati Yadav,  
Staff Nurse,  
Hamidia Hospital,  
Bhopal.

Sub:- Permission to appear in B.A. Final Examination  
for the year 1988-89.

With reference to your application dtd.  
22.8.88 you are hereby permitted to appear in the  
B.A. Final Examination for the year 1988-89 as  
a private candidate on the following terms and  
conditions.

1. The permission is subject to exigencies of services.
2. No prepration leave will be sanctioned except examination days.
3. In <sup>no</sup> way the Govt. work should be neglected else the permission shall be with drawn.
4. The permission shall be liable to cancellation at any time without assigning any reason.

  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सिफिलिस शिक्षा विभाग

  
Jt. Director & Med. Superintendent,  
Hamidia Hospital, Bhopal.

Anam